सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 18, सोमवार, *शाके* 1945-मई 08, 2023

Vaisakha 18, Monday , Saka 1945- May 08, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, जनवरी 22, 2023

संख्या प.32(बी)(1)(Policy 2023-24-01986 PT)आब/एल/2023/4580 :- राज्य सरकार की आज्ञा पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2023 दिनांक 22.01.2023 के द्वारा संशोधित आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या (2) (iii) के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2023-24 के लिये थोक निर्गम मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

क्र.सं	ENA निर्मित मदिरा की किस्म	पव्वों (180 एम.एल.) के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)
1	देशी मदिरा 40 यूपी- ग्लास	605
2	देशी मदिरा 40 यूपी- पेट	545
3	देशी मदिरा 40 यूपी- एसेप्टिक पैक	580
4	देशी मदिरा 50 यूपी- पेट	508
5	देशी मदिरा 50 यूपी- एसेप्टिक पैक	510
6	देशी मदिरा 60 यूपी- पेट	360
7	देशी मदिरा 60 यूपी- एसेप्टिक पैक	360
8	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- ग्लास	710
9	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- पेट	630
10	राजस्थान निर्मित मदिरा 25 यूपी-एसेप्टिक पैक	690

उक्त अधिसूचना 01.04.2023 से प्रभावी रहेगी।

कुमार पाल गौतम,
आबकारी आयुक्त, राजस्थान।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।